भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2054

उत्तर देने की तारीख : 03.08.2022

अन्य पिछड़े वर्ग की क्रीमीलेयर की आय के निर्धारण के लिए मानदंड

2054. श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की क्रीमीलेयर की आय के निर्धारण में परिवर्तन कब से नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य वर्ग के गरीबों और अन्य पिछड़े वर्ग के अमीर की आय एक समान हो गई है;

(ख) सामान्य वर्ग के लिए गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए निर्धारित आय मानदंड का ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के लिए आय संबंधी मानदंड क्या हैं; और

(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने अभ्यर्थी क्रीमीलेयर की आय संबंधी मानदंड के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(सुश्री प्रतिमा भौमिक)

(क) से (ग): सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के दायरे से बाहर करने के लिए आय मानदंड को पिछली बार डीओपीटी के दिनांक 13.09.2017 के का.ज्ञा. द्वारा संशोधित करके 8 लाख रुपये प्रति वर्ष किया गया था। ओबीसी की क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए मौजूदा आय मानदंड 8 लाख रूपए प्रति वर्ष प्रति परिवार है।

(घ): डीओपीटी द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्होंने ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत गैर-क्रीमी लेयर का दावा किया था और जिन्हें विगत पांच वर्षों में सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के माध्यम से किसी भी सेवा में आवंटित नहीं किया जा सका था क्योंकि जांच में उन्हें क्रीमी लेयर के अंतर्गत पाया गया था और इसलिए वे आरक्षण के लिए पात्र नहीं हैं। ब्यौरा इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	सीएसई **वर्ष**	**संख्या**
1.	सीएसई-2016	11
2.	सीएसई-2017	27
3.	सीएसई-2018	7
4.	सीएसई-2019	7
5.	सीएसई-2020	3
	कुल	**55**

*****